न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 83/2020 – निगरानी

1. जहीर खां पिता मोहम्मद जमील निवासी भदालीखेड़ा हाल निवासी मोहमदी कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा –निगराकार	बनाम	1. शाहीना खानम पुत्री मोहम्मद हनिफ खान निवासी भदालीखेड़ा हाल मुकाम मोहमदी कॉलोनी शास्त्री नगर भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा 2. ग्राम पंचायत आरजिया, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत आरजिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा – गैर निगराकार

विरूद्ध संकल्प संख्या 02 आदेश दिनांक 20–10–2017, पट्टा संख्या 20 दिनांक 20–12–2017 को ग्राम पंचायत आरजिया, पंचायत समिति सुवाणा, जिला भीलवाड़ा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम

उपस्थित –

1. अधिवक्ता श्री मोहम्मद वासीफ खान पठान – निगराकार की ओर से
2. अधिवक्ता श्री सबदर अली – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.01.2025

निगराकार द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत विपक्षीगणो के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर निगराकार संख्या 01 का आवासीय पट्टा जो संकल्प संख्या 02 आदेश दिनांक 20–10–2017, पटटा संख्या 20 दिनांक 20–12–2017 को गैर निगराकर संख्या 02 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया है, जो फर्जी व कुटरचित एवं मिथ्या होने की वजह से निरस्त होने योग्य है एवं गैर निगराकार संख्या 01 ने गैर निगराकार संख्या 02 से मिलीभगत कर पट्टा जारी कर उप पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा से पंजीयन करवाया लिया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। निगराकार के चाचा सलीम मोहम्मद पिता अहमदनुर जी पठान को आज से करीब 60 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत मालोला द्वारा भूखण्ड दिया गया, जो तत्कालीन प्रचिलित विधिनुसार दिया गया था, जिस पर निगराकार के चाचा सलीम मोहम्मद पिता अहमदनुर पठान के नाम पर जारी किया गया था तथा निगराकार के चाचा सलीम मोहम्मद पिता अहमदनुर जी पठान का जीवनपर्यन्त उसका कब्जा रहा था तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त निगराकार की

फोटोप्रति प्रस्तुत की गयी, जिसमे ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्रावली से संबंधित कोई पटटा जारी नही किया जाना अंकित किया हैं। जबकि निगराकार ने निगरानी मेमों में कथन अंकित किया हैं कि प्रश्नगत पटटा ज़ारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अनदेखी कर पटटा जारी किया हैं। इस प्रकार निगराकार ने स्वयं ही विरोधाभास की स्थिति प्रकट की है, कि ग्राम पंचायत द्वारा यदि प्रश्नगत पटटा जारी ही नही किया गया है, तो नियमों की उल्लघंना किस प्रकार हुयी ? इस हेतु निगराकार की ओर से कोई जवाब/प्रमाणिक साक्ष्य व दस्तावेजात पेश नही किये गये।

निगराकार ने निगरानी में अंकित किया कि प्रश्नगत पटटे पर स्वयं का पुश्तैनी कब्जा हैं, किन्तु निगराकार ने निगरानी मेमों के बिन्दु संख्या 10 में अंकित किया हैं कि मौके पर कोई मकान नही हैं, इस प्रकार निगराकार के उक्त कथनों में स्पष्ट विरोधाभास जाहिर होता हैं, कि मौके पर कोई मकानात आदि नही है, तो निगराकार का किस पर कब्जा है। निगराकार ने कब्जे से संबंधित कोई प्रमाणित दस्तावेजात भी प्रस्तुत नहीं किये हैं।

निगराकार ने पटटे व मिसल की कोई प्रमाणित प्रति पेश नही की हैं, जिससे जाहिर हो सके कि पटटा वैध है अथवा अवैध, जबकि नियमानुसार Burdon of proof स्वयं निगराकार का होता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी सारहीन, आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी सारहीन, आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत आरजिया पंचायत समिति सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)